

सेवा प्रदायगी और जन अभयोग नरिाकरण में राजस्थान देश में अव्वल

चर्चा में क्यों?

6 जनवरी, 2023 को राजस्थान के जन अभयोग नरिाकरण वभिाग के राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभयान 'सुशासन सप्ताह- प्रशासन गाँवों की ओर- 2022' के तहत राजस्थान ने दो श्रेणियों- सेवा प्रदायगी (सर्विस डलिवरी) एवं जन अभयोग नरिाकरण में संपूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बडि

- जन अभयोग नरिाकरण वभिाग के राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 के दौरान चलाए गए 'सुशासन सप्ताह- प्रशासन गाँवों की ओर' अभयान के दौरान संपूर्ण देश में जन अभयोग (Public Grievances) के 53 लाख 80 हजार प्रकरण नसितारति किये गए, जसिमें से राजस्थान ने 23 लाख 36 हजार प्रकरण नसितारति कर प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- सेवा प्रदायगी (Service Delivery) के पूरे देश में वर्ष 2022 में अभयान के दौरान 310 लाख प्रकरण नसितारति हुए, जसिमें से राजस्थान ने सेवा प्रदायगी के 149 लाख आवेदन नसितारति कर प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- उन्होंने बताया कि सेवा प्रदायगी में ज़िला अलवर 16 लाख 45 हजार प्रकरण नसितारति कर प्रथम स्थान पर जबकि जयपुर 14 लाख 53 हजार प्रकरण नसितारति कर द्वितीय तथा सीकर ज़िला 12 लाख 92 हजार प्रकरण नसितारति कर तृतीय स्थान पर रहा।
- इसी प्रकार जन अभयोग नरिाकरण में ज़िला जयपुर 2 लाख 62 हजार प्रकरण नसितारति कर प्रथम स्थान पर, जोधपुर एक लाख 19 हजार प्रकरण नसितारति कर द्वितीय और अलवर ज़िला एक लाख 17 हजार प्रकरण नसितारति कर तृतीय स्थान पर रहा।
- उल्लेखनीय है कि राज्य को अग्रणी बनाने में जन अभयोग नरिाकरण वभिाग के राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग द्वारा प्रत्येक माह वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से की जाने वाली संभााग स्तरीय समीक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा। इससे फील्ड के अधिकारियों में आमजन की परविदनाओं के प्रती संवेदनशीलता में वृद्धि हुई।
- राज्य स्तरीय जन अभयोग नरिाकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने कहा कि जन शकियातों के नविारण के लिये राजस्थान संपर्क पोर्टल पर 24x7 शकियात दर्ज करने की सुविधा दी गई है तथा मशिन मोड में प्रत्येक माह में त्रस्तरीय जनसुनवाई ग्राम स्तर, उपखंड स्तर एवं ज़िला स्तर पर की जा रही है।
- नदिशक लोक सेवाएँ एवं संयुक्त शासन सचवि डॉ. ओमप्रकाश बैरवा ने बताया कि संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन की स्थापना के लिये लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी को अधनियमति करने वाले अग्रणी राज्यों में रहते हुए राजस्थान वर्ष 2011 में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधनियमि लाने के साथ ही 2012 में सुनवाई का अधिकार अधनियमि लाने वाला प्रथम राज्य है।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में आमजन को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधनियमि के तहत अधसूचति 308 सेवाओं की समयबद्ध प्रदायगी के साथ ही त्वरति एवं पारदर्शी व्यवस्था के तहत 624 सेवाओं की प्रदायगी ऑनलाइन की जा रही है, ताकि आमजन को दूरस्थ कार्यालयों में बार-बार चक्कर नहीं लगाना पड़े।